

## फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्राची ..... शिखर शर्मा ..... विपक्षी ..... सुरेश चंद्र .....  
किसम मुकदमा ..... 212/19/2025 ..... पत्रावली संख्या ..... 89/17 ..... सन् .....

क कार्यवाही विवरण हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

09/01/25  
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्राची मथ प्राची अनुपस्थित। अधिवक्ता प्राची मथ प्राची को निरन्तर आवाजे दिलवाई गई। समय साँय 5:00 PM हो चुके हैं। अधिवक्ता प्राची मथ प्राची अब तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता प्राची मथ प्राची अनुपस्थित रहने पर प्राची का प्राचीना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा हटाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम ही।

निर्णय चुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर  
(SDO) मावली